रामकन्या बनाम लक्ष्मण
GCMS No- 2021/385
प्रकरण संख्या 161/2021

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 161/2021
जीसीएमएस न0 2021/385

1. रामकन्या पत्नि श्यामलालजी जाति मीणा निवासी कारोद तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ मो0नं0 ...वादिया

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र परसराम जी जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. गोपाल पुत्र कारूलालजी जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. भागीरथ पुत्र कारूलालजी जाति मीणा निवासी कारोद तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. मन्जुबाई पुत्री परसराम जाति मीणा निवासी कारोद तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. राधाबाई पत्नि रामचन्द्र जी जाति मीणा निवासी सापलिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

—प्रतिवादिगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता वादिया गण
2— प्रतिवादि संख्या 1 से 6 — एक पक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक :— 08.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादिया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मोजा कारोद पटवार हल्का निम्बाहेडा—बी तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 219 की आराजी नं0 736/520 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं0 737/521 रकबा 0.1220 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3720 हेक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश है ।

2. वादग्रस्त आराजीयात वादिया एवं प्रतिवादिगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादिगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात में वादिया का 1/2 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादी नं0 1 से 5 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा निहित है, तथा इसी अनुसार वादिया व प्रतिवादिगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादिया व प्रतिवादिगण के मध्य विवाद होता रहता हैं इसलिए वादिया ने प्रतिवादिगणों को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवारा [illegible] कराने हेतु प्रतिवादिगण को कहा तो प्रतिवादिगण टाल चाल कर रहे [illegible] वाडा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजी[illegible] किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादिया [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार 1/2 हक हिस्सा ब[illegible] की अधिकारी हैं। वा[illegible] दिनांक 15/10/2021 को जब वादिया ने प्रति[illegible]गण को राजस्व रेकार्ड अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स बटवाडा कराने को कहा तो प्रतिवादिगण टाल चाल कर रहे हैं और वादग्रस्त भूमि का बटवाडा कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा-जिला चित्तौडगढ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

से इंकार हो गये है व समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे है से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश है।

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तह0 निम्बाहेडा में स्थित आराजीयात में वादिया का 1/2 हक हिस्सा, मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार वादग्रस्त भूमि का बटवारा बाय मिट्स एड बाउण्ड्स किया जाकर, वादिया का हक हिस्सा अलग अलग खातेदारी मे दर्ज किया जावे, तथा लगान की फाटनी की जावें एवं इसी अनुसार कागजात पटवार मे अलग खातेदारी मे दर्ज किया जावें, तथा प्रतिवादिगण का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार हक हिस्सा वदस्तुर शामील रखाया जावें।

4. प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनाक 18.09.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तह निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 219 की आराजी नं0 736/520 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं0 737/521 रकबा 0.1220 हेक्टेय कुल किता 2 कुल रकबा 0.3720 हेक्टेयर स्थित स्थित हैं। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जावे तथा वादिया का दर्ज 1/2 हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार बटवारा कर अलग किया जावे । प्रतिवादी का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखा जावे तथा तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना मे बटवारा प्रस्ताव वादिया एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा मे पेश करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमाक राजस्व/2024/245 दिनाक 13.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

5. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मोठा पटवार हल्का पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तहसील निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– रामकन्या पत्नि श्यामलाल मीणा निवासी कसोद रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
737/521/1 (दक्षिण–पश्चिम)	0.0276	0.26
736/520/1 दक्षिणी	0.1584	1.50
किता–2	कुल रकबा 0.1860 हैक्टेयर	1.76

2.– श्रीमति राधाबाई पत्नि रामचन्द्र मीणा [illegible] खातेदार (प्रतिवादी–5)

आराजी नम्बर	रकबा [illegible]	लगान (रूपये)
737/521/2 पूर्वी	[illegible]	0.71
किता–1	कुल रकबा 0.0744 हैक्टेयर	0.71

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:59 IST
Reason: SelfAttested

3.– श्री लक्ष्मण 1/3, मन्जुबाई 1/3 पिता परसराम जाति मीणा निवासी कासोद, गोपाल 1/6, भागीरथ 1/6 पिता कारूलाल जाति मीणा निवासी कासोद हाल

Scanned with OKEN Scanner

GCMS No- 2021/385
प्रकरण संख्या 161/2021

पिपलियाचारण तहसील नीमच (प्रतिवादी 1–4)

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
737/521/3 (उत्तरी–पश्चिमी)	0.0200	0.19
736/520/2 उत्तरी	0.0916	0.88
किता–2	कुल रकबा 0.1116 हैक्टेयर	1.07

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनाक 08.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 161/2021
जीसीएमएस न0 2021/385

1. रामकन्या पनि श्यामलालजी जाति मीणा निवासी कासोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ मो0नं0 9602231575 ....वादिया

बनाम

2. लक्ष्मण पुत्र परसराम जी जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. गोपाल पुत्र कारूलालजी जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. भागीरथ पुत्र कारूलालजी जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. मलुबाई पुत्री परसराम जाति मीणा निवासी कारोद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. राधाबाई पत्नि रामचन्द्र जी जाति मीणा निवासी सापलिया तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादिगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई । प्रकरण में दिनांक 18.09.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मोजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तह निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 219 की आराजी नं0 736/520 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं0 737/521 रकबा 0.1220 हेक्टेय कुल किता 2 कुल रकबा 0.3720 हेक्टेयर स्थित स्थित हैं। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जावे तथा वादिया का दर्ज 1/2 हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार बटवारा कर अलग किया जावें । प्रतिवादी का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार हक हिस्सा बदस्तुर शामिल रखा जावे तथा तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादिया एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक क्रमांक राजस्व/2024/245 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत प्रस्तुत किये है जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी को वाद [illegible] डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:59 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः वाद वादी कतई डिक्री [illegible] मौजा [illegible] पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तहसील निम्बाहेडा का बटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– रामकन्या पत्नि श्यामलाल मीणा निवासी कसोद रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
737/521/1	0.0276	0.26

Scanned with OKEN Scanner

736/520/1 दक्षिणी	0.1584	1.50

किता–2 कुल रकबा 0.1860 हैक्टेयर 1.76

2.– श्रीमति राधाबाई पत्नि रामचन्द्र मीणा निवासी सांपलिया खातेदार (प्रतिवादी–5)

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
737/521/2 पूर्वी	0.0744	0.71

किता–1 कुल रकबा 0.0744 हैक्टेयर 0.71

3.– श्री लक्ष्मण 1/3, मन्जुबाई 1/3 पिता परसराम जाति मीणा निवासी कासोद, गोपाल 1/6, भागीरथ 1/6 पिता कारूलाल जाति मीणा निवासी कासोद हाल पिपलियाचारण तहसील नीमच (प्रतिवादी 1–4)

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
737/521/3 (उत्तरी–पश्चिमी)	0.0200	0.19
736/520/2 उत्तरी	0.0916	0.88

किता–2 कुल रकबा 0.1116 हैक्टेयर 1.07

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

यह आज तारीख 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner